19.12.17

वकील अप्रार्थी उप० जवाब पेश नहीं करते हुए वकील अप्रार्थी ने सीधे ही बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र देरी के लिए 100 रु cost पर प्रार्थना पत्र [illegible] स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थना पत्र TI-26/12 उनवानी वीरेन्द्रसिंह वगै० v/s सुरेश सिंह वगै० निर्णय दिनांक 08.04.15 को पुन: नंबर पर लिया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)